न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.77 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 246)	30.12.2024	15.09.2025

1. नूरजहां पुत्री रहीमबक्ष पत्नी मोइद्दीन जाति मुसलमान, निवासी जलदाय विभाग के सामने, बून्दी
2. नसीम बानो पुत्री रहीमबक्ष पत्नी मो0 जालिस जाति मुसलमान, निवासी महावीर कॉलोनी, बून्दी
3. शमीम बानो पुत्री रहीमबक्ष पत्नी मो0 शरीफ जाति मुसलमान, निवासी भूरीखाना मोहल्ला, मखाली, सवाई माधोपुर (राज.)

— अपीलांटस

बनाम

1. सलीम पुत्र रहीमबक्ष जाति मुसलमान, निवासी तालाबगांव पेट्रोल पम्प के सामने, तह.हिण्डोली, जिला बूंदी
2. हलीमुदीन उर्फ अलीमुद्दीन पुत्र रहीमबक्ष जाति मुसलमान, निवासी माजीसाहब के कुण्ड के पास, पुरानी तहसील के पीछे बूंदी
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्टस की ओर से श्री सुनील गौत्तम एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1, 2 की ओर से श्री अनीस मोहम्मद एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 70 दिनांक 11.01.1983 ग्राम बहादुरपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार रहीमबक्ष के देहान्त के बाद उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 77/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/246 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जाकर अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 288 रकबा 1.5765 हैक्टेयर, 289 रकबा 0.0538 हैक्टेयर, 401/279 रकबा 0.3046 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.9379 हैक्टेयर वाकेग्राम बहादुरपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है, जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2076–2079 में खातेदार के स्थान पर सलीम पुत्र रहीमबक्ष हिस्सा 1/2, हलीमुददीन पुत्र रहीमबक्ष हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में 25 बीघा 12 बिस्वा थी जो अपीलांटस के पिता रहीमबक्ष के खाते में दर्ज थी। जिसमें से 15 बीघा भूमि रहीमबक्ष द्वारा खातेदार बादुल्ला आ. अमीर जाति मुसलमान निवासी बून्दी से जर्ये बेचाननामा रजिस्ट्री सं. 227 दिनांक 03.05.1977 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, तब से ही खातेदार रहीमबक्ष उक्त सम्पूर्ण भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे थे, खातेदार रहीमबक्ष की मृत्यु के बाद फोती इंतकाल सं. 70 दिनांक 11.01.1983 राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व कैम्प छत्रपुरा में बिना जांच एवं वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये बिना केवल खातेदार के दोनों पुत्रों सलीम व हलीमुद्दीन उर्फ अलीमुद्दीन के नाम खोला गया, जबकि रहीमबक्ष के तीन पुत्रियां अपीलांटस भी मौजूद थी। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। रेस्पो.सं.1 व 2 द्वारा भूमि को बेचान करने पर आमादा होने की जानकारी मिलने पर अपीलांट द्वारा हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर पटवारी द्वारा बताये जाने पर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। तब नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 03.12.24 को नकल प्राप्त होने के बाद अपील दिनांक 24.12.24 को पेश की गई। इसलिए जानकारी की तिथि से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की है। फिर भी यदि विलम्ब माना जावे तो अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं अपीलांटस तीनों पुत्रियों के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हल्का पटवारी से कब हुई, इसका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में उल्लेख नहीं किया है। अपीलांटस द्वारा करीब 42 वर्ष बाद यह अपील पेश की गई। अत्यधिक देरी का कोई कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। बिना न्यायोचित कारण के अत्यधिक विलम्ब कन्डोन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाकर विलम्ब से पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। आगे मेरिट पर बहस करते हुये अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2 ने कथन किया कि अपील विषयक कृषि भूमि के खातेदार सलीम एवं हलीमुद्दीन द्वारा उक्त भूमि में से 13 बीघा भूमि दिनांक 13.07.1995 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र महावीर प्रसाद, कपूरचन्द, टीकमचन्द पि0 लेखराज जाति महाजन निवासी नैनवां रोड बून्दी को विक्रय की जा चुकी है। इसके बाद अपीलांटस द्वारा क्रेताओं से उक्त भूमि का प्रतिफल प्राप्त करना अंकित करते हुये नोटेरी पब्लिक से तस्दीक राजीनामा दिनांक 24.12.1996 को निष्पादित किया गया। उक्त राजीनामा के पृष्ठ सं.2 पर अपीलांटस द्वारा स्वीकार किया है कि रहीमबक्ष के खाते की भूमि का इन्तकाल मात्र हलीमुद्दीन एवं सलीम के नाम से खुल गया था, जिसमें उनके साथ साथ हम प्रथमपक्ष का भी हिस्सा है तथा बराबर का हक व अधिकार है। इससे दिनांक 24.12.1996 को ही अपीलांटस को फोती इन्तकाल सं. 70 की जानकारी होना प्रमाणित है। उक्त राजीनामा के पृष्ठ सं.3 पर अपीलांटस द्वारा स्वीकार किया गया कि विक्रय की गई भूमि के स्वामित्व बाबत प्रथमपक्ष कभी भी किसी भी न्यायालय में कोई दावा दायर नहीं करेंगे। इसके बावजूद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त क्रेताओं के अधिकारों के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है। अपीलांटस तथ्यों को छिपाकर यह अपील लेकर आई है जो मेरिट पर भी खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 2 द्वारा अपील अपीलांटस खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि ग्राम बहादुरपुरा के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 70 में अंकित कृषि भूमि किता 5 कुल रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार रहीमबक्ष वल्द मोहम्मद कौम मुसलमान सा.बून्दी था। खातेदार रहीमबक्ष के देहान्त के बाद उसके खाते की कृषि भूमि पर हलीमुदीन, सलीम वल्द रहीमबक्ष के पक्ष में विरासत नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 11.01.1983 तस्दीक किया गया। जिस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि उक्त नामान्तरकरण मृतक खातेदार रहीमबक्ष के सभी वारिसान के पक्ष में दर्ज नहीं किया जाकर केवल दोनों पुत्रों के पक्ष में तस्दीक किये जाने के कारण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर बून्दी

पत्रावली पर उपलब्ध अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर दिनांक 28.11.2024 नकल हेतु आवेदन किया गया, नकल दिनांक 03.12.2024 को प्राप्त होना अंकित किया है, किन्तु अपीलांटस द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया गया कि उनको अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा कब दी गई। अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 11.01.1983 को तस्दीक हुआ है तथा अपीलांटस द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील करीब 42 वर्ष बाद पेश की गई है। दिनांक 03.12.2024 से पूर्व नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होने का कोई कारण नहीं बताया गया। अपीलांटस द्वारा अपने पिता रहीमबक्ष के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी भूमि के राजस्व रेकार्ड की वर्षो तक अपीलांटस को कोई जानकारी नहीं रही हो, यह विश्वसनीय नहीं है, जबकि किसानों को लगान अदायगी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि खातेदारी रिकार्ड के अनुसार ही प्राप्त होता है। अपीलांटस को अपने पिता के देहान्त के बाद उनके खाते की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की जानकारी करने की आवश्यकता क्यों नहीं हुई, इस संबंध में प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध काफी विलम्ब से अपील पेश किये जाने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। वैसे अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2 की ओर से पेश किये गये राजीनामा दिनांक 24.12.96 की छायाप्रति के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा पिता रहीमबक्ष का फोती इंतकाल केवल दोनों पुत्रों के नाम दर्ज होने तथा तीनों पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं होना स्वीकार किया है। इस प्रकार दिनांक 24.12.1996 को अपीलांटस को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी होना प्रमाणित है। अपीलांटस द्वारा दिनांक 24.12.96 के बाद भी उक्त इंतकाल के विरूद्ध अपील पेश नहीं किये जाने तथा 28 वर्ष के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जबकि अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ 549 में प्रतिपादित है कि An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainty and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a party`s own inaction, negligence or laches. इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया है कि Liberal approcah cannot be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay- Held, Application & appeal are liable to be dismissed.

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर; बून्दी

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसमें गंभीर विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अपीलांटस पेश करने में पूर्णतः असफल रही हैं। ऐसे में अत्यधिक विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 15.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी